

**एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना**  
[ नियम 6 का उप-नियम (1) ]

(a)	अधियाची विभाग	: बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और S.I.A द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	: राज्य उच्च पथ-78 (चण्डी-सरमेरा खंड) का निर्माण परियोजना माधोपुर एन0एच0-30ए से प्रारंभ होकर हरित क्षेत्र से होते हुए भाया चंडी-नूरसराय भागनविगहा, रहुई, बिन्द, गोपालबाद होकर सरमेरा के नजदीक एन0एच-82 पर अंत होता है। मौजा-रहुई, थाना नं0-19 लम्बाई :-47.50 कि0मी0 परियोजना का क्षेत्रफल 680.175 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 2.36 एकड़
(b)	S.I.A के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ	: राज्य उच्च पथ परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	: हाँ
(d)	S.I.A के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (S.I.A प्रतिवेदन और S.I.M.P) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	: (i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 90 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाइट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपोज्डन अथवा भय उत्पन्न करने को कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	: लागू नहीं।
(f)	राज्य S.I.A इकाई की सम्पर्क सूचना।	: इस परियोजना के लिए :- चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, मीठापुर पटना। (i) प्रो0 श्रीरंग विष्णु - 9386475929 (ii) प्रो0 श्री अर्जुन शर्मा - 9386750343

६०/-  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

ज्ञापांक...1851.../भू0अ0, दिनांक...18.../12.../2015

प्रतिलिपि :- पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, रहुई को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहुई को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अंचल अधिकारी को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

**एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना**  
[ नियम 6 का उप-नियम (1) ]

(a)	अधियाची विभाग	:	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और S.I.A द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	:	राज्य उच्च पथ-78 (चण्डी-सरमेरा खंड) का निर्माण परियोजना माधोपुर एन0एच0-30ए से प्रारंभ होकर हरित क्षेत्र से होते हुए भाया चंडी-नूरसराय भागनविगहा, रहुई, बिन्द, गोपालबाद होकर सरमेरा के नजदीक एन0एच-82 पर अंत होता है। मौजा-सोसण्डी, थाना नं0-14 लम्बाई :-47.50 कि0मी0 परियोजना का क्षेत्रफल 680.175 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 17.53 एकड़
(b)	S.I.A के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ	:	राज्य उच्च पथ परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	:	हाँ
(d)	S.I.A के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (S.I.A प्रतिवेदन और S.I.M.P) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	:	(i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 90 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाईट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	:	लागू नहीं।
(f)	राज्य S.I.A इकाई की सम्पर्क सूचना।	:	इस परियोजना के लिए :- चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, मीठापुर पटना। (i) प्रो0 श्रीरंग विष्णु - 9386475929 (ii) प्रो0 श्री अर्जुन शर्मा - 9386750343

ह0/-  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

ज्ञापांक 1852/भू0अ0, दिनांक 18/12/2015

**प्रतिलिपि :-** पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, रहुई को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहुई को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अंचल अधिकारी को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** आई0टी0, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** नजारत उप समाहर्ता नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

समाहर्ता,  
नालन्दा।

**एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना**  
[ नियम 6 का उप-नियम (1) ]

(a)	अधियाची विभाग	: बिहार स्टेट रोड डेमलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और S.I.A द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	: राज्य उच्च पथ-78 (चण्डी-सरमेरा खंड) का निर्माण परियोजना माधोपुर एन0एच0-30ए से प्रारंभ होकर हरित क्षेत्र से होते हुए भाया चंडी-नूरसराय भागनविगहा, रहुई, बिन्द, गोपालबाद होकर सरमेरा के नजदीक एन0एच-82 पर अंत होता है। मौजा-भण्डारी, थाना नं0-17 लम्बाई :-47.50 कि0मी0 परियोजना का क्षेत्रफल 680.175 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 1.50 एकड़
(b)	S.I.A के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ	: राज्य उच्च पथ परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	: हाँ
(d)	S.I.A के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (S.I.A प्रतिवेदन और S.I.M.P) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	: (i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 90 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाइट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपंडन अथवा भय उत्पन्न करने का कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	: लागू नहीं।
(f)	राज्य S.I.A इकाई की सम्पर्क सूचना।	: इस परियोजना के लिए :- चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, मीठापुर पटना। (i) प्रो0 श्रीरंग विष्णु - 9386475929 (ii) प्रो0 श्री अर्जुन शर्मा - 9386750343

ह0/-  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

ज्ञापांक...1853.../भू0अ0, दिनांक...18.../...12.../2015

प्रतिलिपि :- पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, रहुई को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहुई को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अंचल अधिकारी को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि :- आई0टी0, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।



समाहर्ता,  
नालन्दा।

**एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना**  
[ नियम 6 का उप-नियम (1) ]

(a)	अधियाची विभाग	: बिहार स्टेट रोड डेमलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और S.I.A द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	: राज्य उच्च पथ-78 (चण्डी-सरमेरा खंड) का निर्माण परियोजना माधोपुर एन0एच0-30ए से प्रारंभ होकर हरित क्षेत्र से होते हुए भाया चंडी-नूरसराय भागनविगहा, रहुई, बिन्द, गोपालबाद होकर सरमेरा के नजदीक एन0एच-82 पर अंत होता है। मौजा-हवनपुरा, थाना नं0-18 लम्बाई :-47.50 कि0मी0 परियोजना का क्षेत्रफल 680.175 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 4.1375 एकड़
(b)	S.I.A के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ	: राज्य उच्च पथ परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	: हाँ
(d)	S.I.A के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (S.I.A प्रतिवेदन और S.I.M.P) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	: (i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 90 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाईट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीडन अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	: लागू नहीं।
(f)	राज्य S.I.A इकाई की सम्पर्क सूचना।	: इस परियोजना के लिए :- चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, मीठापुर पटना। (i) प्रो0 श्रीरंग विष्णु - 9386475929 (ii) प्रो0 श्री अर्जुन शर्मा - 9386750343

ह0/-  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

ज्ञापांक 1854/मू0अ0, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :- पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, रहुई को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहुई को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अंचल अधिकारी को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि :- आई0टी0, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

**एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना**  
[ नियम 6 का उप-नियम (1) ]

(a)	अधियाची विभाग	:	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
	परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और S.I.A द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।	:	राज्य उच्च पथ-78 (चण्डी-सरमेरा खंड) का निर्माण परियोजना माघोपुर एन0एच0-30ए से प्रारंभ होकर हरित क्षेत्र से होते हुए भाया चंडी-नूरसराय भागनविगहा, रहुई, बिन्द, गोपालबाद होकर सरमेरा के नजदीक एन0एच-82 पर अंत होता है। मौजा-भेण्डा, थाना नं0-13 लम्बाई :-47.50 कि0मी0 परियोजना का क्षेत्रफल 680.175 एकड़ एस0आई0ए0 हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 1.415 एकड़
(b)	S.I.A के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण सर्वे (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयें	:	राज्य उच्च पथ परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रभाव का आकलन। प्रभावित परिवारों से बातचीत/मिलकर प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण और आम जनता के साथ सुनवाई कर इसे किया जाना है। (उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती पारदर्शिता अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियामावली के प्रावधानों के अनुरूप)
(c)	यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।	:	हाँ
(d)	S.I.A के लिए टाईमलाईन और अंतिम परिदेय (S.I.A प्रतिवेदन और S.I.M.P) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति की विनिर्दिष्ट किया जायेगा।	:	(i) प्रथम अग्रिम भुगतान के 90 दिनों के अन्दर। (ii) एस0आई0ए0 प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना विचारणीय विषय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। (iii) पंचायत/नगर पंचायत, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं समुचित सरकार के वेवसाईट के माध्यम से प्रकाशन।
(e)	यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीडन अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।	:	लागू नहीं।
(f)	राज्य S.I.A इकाई की सम्पर्क सूचना।	:	इस परियोजना के लिए :- चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, मीठापुर पटना। (i) प्रो0 श्रीरंग विष्णु - 9386475929 (ii) प्रो0 श्री अर्जुन शर्मा - 9386750343

ह0/-  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

ज्ञापांक...1855.../भू0अ0, दिनांक...18.../...12.../2015

**प्रतिलिपि :-** पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, रहुई को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।


**प्रतिलिपि :-** संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहुई को सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से तामिला, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अंचल अधिकारी को सूचनार्थ, सूचनापट पर प्रकाशनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** आई0टी0, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** नजारत उप समाहर्ता नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता, नालन्दा के सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
नालन्दा।